www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-7* *July 2025***

भारतीय राजनीति में महिलाओं का सशक्तिकरण– एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 निमिषा रानी सिंह

पी–एच० डी०, इतिहास विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

सारांश– महिलाएं किसी भी समाज की आधी आबादी होती है और इस आधी आबाद को हाशिए पर रखकर किसी भी समाज के पूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था लंबे समय से पितृसत्तात्मक विचारधारा पर आधारित है। यह विचारधारा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती है जो पुरुषों को श्रेष्ठ और महिलाओं को दूसरे दर्जे का मानती है। इस सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति बहुत ही शोषणकारी और उत्पीड़नकारी होती है, महिलाओं के साथ हिंसा इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह व्यवस्था महिला तथा उससे संबंधित समस्याओं को सदैव ही हाशिए पर रखती है। यदि भारतीय समाज महिलाओं के विषय में वास्तविक तौर पर चिंतित हैं तो उसे सदियों से चली आ रही वर्तमान व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करना होगा। तभी भारतीय महिलाओं की स्थिति में वास्तविक सुधार संभव हो सकेगा और एक न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो।

कुँजी– पितृसत्तात्मक, सामाजिक, लोकतांत्रित, क्रांतिकारी।

प्रस्तावना– सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। सशक्तिकरण को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक आदि कई आयाम में समझा जा सकता है। यह अध्ययन महिला सशक्तिकरण के राजनीति आयाम पर केंद्रित है। राजनीति विज्ञान मास्टर साइंस है क्योंकि राजनीतिक विज्ञान, समाज विज्ञान का उपक्षेत्र होते हुए भी यह सामाजिक विज्ञान और उसके अन्य उपक्षेत्रों पर एक विशेष प्रभुत्व रखता है। राजनीति का सीधा संबंध निर्णय–निर्माण से होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न सिर्फ सामाजिक बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक और वैचारिक आदी सभी क्षेत्रों को नियंत्रित, निर्देशित और प्रभावित करती है।

अगर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए तो वह सदियों से पितृसत्तात्मक विचारधारा के अनुरूप कार्य कर रही है। इस व्यवस्था ने सदैव ही महिलाओं को निर्णय–निर्माण प्रक्रिया व राजनीतिक सहभागिता से दूर रखने का प्रयास किया है। भारत की आजादी के 75 वर्षों बाद आज भी भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय व राज्य स्तर की राजनीति व निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में पर्याप्त सक्रिय सहभागिता का अभाव है। जो महिलाओं के राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। आज भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है जिसके परिणामस्वरूप आज भी महिलाएं स्वयं को हाशिए पर महसूस करती हैं। राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व का अभाव न केवल महिलाओं को निर्णय–निर्माण में भागीदारी से दूर करता है बल्कि उनसे संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को भी हाशिए पर बनाए रखता है। आज भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक पिछड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट वूमेन इन पॉलिटिक्स के अनुसार संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत ने 148वां स्थान और वूमेन एट मिनिस्ट्रियल पोज़िशन के मामले में 88वां स्थान प्राप्त किया। 16वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 11.8 प्रतिशत था और 17वीं लोकसभा में 14 प्रतिशत है। 2019 में सभी विधानसभाओं में महिलाओं का कुल प्रतिनिधित्व मात्र 9 प्रतिशत रहा।

अतः आंकड़े दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में महिलाओं की स्थिति आज भी चिंताजनक है। यह पितृसत्तात्मक राजनीतिक व्यवस्था महिला समानता की बातें करती है, नारेबाजी करती है या छोटी–मोटी योजनाओं द्वारा महिलाओं को भ्रमित तो करती है परंतु निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में समान प्रतिनिधित्व देने से सदैव ही कतराती रही है। जब तक महिलाओं को राष्ट्र–राज्य राजनीति में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा, तब तक महिलाओं की समस्याओं का

उचित समाधान करना व देश का चहुँमुखी विकास करना असंभव है। कोई भी राष्ट्र अपनी आधी आबादी को हाशिए पर रखकर एक उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकता। अतः यह तभी संभव होगा जब महिलाओं को संसद व विधानसभाओं में आरक्षण दिया जाए व महिला आरक्षण बिल को कानून का रूप दिया जाए। इस कदम से महिलाएं भी निर्णय–निर्माण में पुरुषों के समान सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी और राष्ट्र की समस्याओं का उचित समाधान करते हुए राष्ट्रीय व राज्य स्तर की राजनीति में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर सके। इस प्रकार न केवल भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी बल्कि वे भी राष्ट्र निर्माण में अहम् योगदान दे पाएगी।

महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से हैं जिसमें महिलाओं के लिए सर्वसम्पन्न और विकसित होने हेतु संभावनाओं के द्वारा खुले नए विकल्प तैयार हों। महिलाएँ समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक सहभागिता लगभग नगण्य रही है। वर्तमान पंचायती राज सामाजिक समता और न्याय, आर्थिक विकास और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण जीवन को नया रूप देने का एक सामूहिक प्रयास है। इसी क्रम में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी महिला सशक्तिकरण के लिये हो रहे प्रयासों का प्रमुख घटक हैं। महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था से समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं को पंचायत राज संस्थाओं में स्थान प्राप्त हुआ है। महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक भूमिका स्वतंत्रता के पश्चात से नगण्य रहने के कारण इन्हें पिछड़े वर्गों में रखकर आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है संपूर्ण महिला वर्ग में भी वर्गों के आधार पर महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में अंतर है। राजनीति का क्षेत्र भी महिलाओं के प्रभाव से अछूता नहीं है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें जनता के द्वारा देश की संचालन व्यवस्था हेतु अपने मत में जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है और इन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा सत्ता में पहुँच कर देश की नीतियों एवं दिशा निर्देशों को बनाया एवम् क्रियान्वित किया जाता है। देश की राजनीति में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका स्वतंत्रता के पश्चात से नगण्य रहने के कारण इन्हें पिछड़ें वर्गों में रखकर आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है संपूर्ण महिला वर्ग में भी वर्गों के आधार पर महिलाओं की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में अंतर है। राजनीति का क्षेत्र भी महिलाओं के प्रभाव से अछूता नहीं है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें जनता के द्वारा देश की संचालन व्यवस्था हेतु अपने मत में जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है और इन्हीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा सत्ता में पहुँच कर देश की नीतियों एवं दिशा निर्देशों को बनाया एवम् क्रियान्वित किया जाता है। देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका शुरूआत के दिनों में अशिक्षा, पर्दाप्रथा के कारण कम भी लेकिन जैसे–जैसे सामाजिक कुरीतियाँ खत्म हो रही है महिलाओं की भूमिका राजनीति में मजबूत होती जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, कानून, अभियांत्रिकी, प्रबंधन के साथ–साथ राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाए आगे आ रही है और अपनी स्थिति को सुधारने के प्रयास में लगी हुई है।

हमारा समाज मूल रूप से पुरूष प्रधान रहा है। पहले महिलाओं के पास किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता न होने के कारण उसकी सामाजिक व पारिवारिक स्थिति एक पराश्रित से अधिक नहीं थी। जिसे हर कदम पर एक पुरूष के सहारे की जरूरत होती थी। वैसे तो आजादी के बाद से ही महिला उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किये जाते रहें है। लेकिन पिछले कुछ वर्षो में महिला सशक्तिकरण की कार्य में तेजी आयी है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप महिलाओं के आत्म विश्वास में बढ़ोत्तरी हुयी है। वे किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार करने लगी है। एक ओर जहाँ केन्द्र व राज्यों की सरकारें महिला उत्थान की नई–नई योजनायें बनाने लगीं है। वहीं कई गैर सरकारी संगठन भी उनके अधिकारों के लिये उनकी आवाज बुलन्द करने लगें है। महिला में ऐसी प्रबल भावना को उजागर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। कि वह अपने अन्दर छिपी की ताकत को सामने लाकर बिना किसी सहारे के आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकें। सृष्टि की उत्पत्ति एवं सभ्यता के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। पुराणों के अनुसार चाहे धर्म की रक्षा हो या उसकी पुर्नस्थापना इन सभी कार्यो को आदि शक्ति मॉ जगदम्बा ने ही पूर्ण किया है। सीता, सावित्री के धर्मपालन को आज भी आदर्श के रूप में समाज में माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, मदरटेरेसा के वीरता बलिदान तथा सेवा की मिशालें आज भी हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करती है।

भारत में सैद्धान्तिक रूप से आज, आदि और हमेशा से ही नारी की मर्यादा है कहा जाता है कि समाज में नारी का स्थान पुरूष के समान ही है न कम और न अधिक प्राचीन काल से आज तक महिलाओं की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति में काफी उतार चढ़ाव आए हैं आधी दुनिया को प्रतिष्ठा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो कभी उन्हे दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता था। आजादी से पूर्व भारत मं महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नही थी। ब्रिटिश शासकों के जाने के पश्चात जब भारतवासियों को आजादी मिली तो हमारे नीति को आजादी मिली तो हमारे नीति निर्धारकों ने महिलाओ की सामाजिक, राज नीतिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करने प्रारम्भ कर दिए, क्योंकि आधी दुनिया के विकास की दौड़ में पीछे रह जाने पर कोई भी राष्ट्र अपने समग्र विकास का दावा नहीं कर सकता फलस्वरूप आजादी के बाद शुरू हुआ महिला सशक्तिकरण का आन्दोलन आज भी जारी है। इस दौरान इसे कुछ असफलताए मिलीं तो इसके खाते मं बहुत सी सफलताए भी दर्ज हैं सरकार ने वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है।

जिसका उद्देश्य महिला अधिकारों और उससे संबंधित मुद्दो के बारे में व्यापक जागरूकता लाना है। आज भी नारी सशक्तिकरण का नारा चारो ओर ध्वनित हो रहा है इसके पीछे यह भावना निहित है कि नारी को शक्ति सम्पन्न बनाना उसको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। आज उसकी सोच का दायरा विस्तृत होता जा रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में वह सफलता चाहती है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में महिला, पुरूष जाति की सोच में परिवर्तन को रह ढूंढ रही है। सशक्तिकरण एवं शिक्षा के बीच संबंध महिला का विकास शिक्षित होने में ही निहित है। तभी वह आर्थिक तौर पर सशक्त बन सकेगी।

आज पश्चिमी अपसंस्कृति के बहाव में भारतीय नारी अपनी अस्मिता को खोती जा रही है, जो हमारे देश के राजनीति का एक घातक तत्व साबित हो रहा है। अतः भारतीय प्राचीन संस्कृति की अवधारणाओं में नारीत्व का परिवेश आज की नारियों को समझना होगा तभी उनका राजनीति में नेतृत्व का पैमाना सफल साबित होगा।

निष्कर्षतः महिलाएं समाज का अनिवार्य अंग है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्र के साथ–साथ राजनीति के क्षेत्र में उनकी अहम भूमिका है। जैसे–जैसे शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में राजनीति जागरूकता आ रही है। शिक्षा के प्रचार–प्रसार और बदलते सामाजिक परिवेश में राजनीति में महिलाएँ आगे आ रही है और केन्द्रीय, प्रान्तीय, स्थानीय शासन में अपनी भागीदारी निभा रही है। इसलिये महिलाओ को सशक्त और सुदृढ़ बनाने पर ही समाज सुदृढ़ होगा। महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिये उनका शिक्षित होना आवश्यक है ताकि अपने अधिकारों को समझ कर समाज एवं राष्ट्र का विकास कर सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा दिशा–निर्देशक सिद्धांतों में लैंगिक समानता के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। संविधान न केवल महिलाओं की समानता को सुनिश्चित करता है, बल्कि राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव का निर्देश देता है।

लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे में हमारे कानून, विकास नीतियां, योजनाएं तथा कार्यक्रम को विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान की ओर उन्मुख रखा गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–78) से महिला कल्याण से लेकर विकास तक के मुद्दे को उठाया जा रहा है। हाल के वर्षों में महिला सशक्तीकरण को महिला की दशा का एक केंद्रीय मुद्दा माना गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई है, जिसके तहत महिला के अधिकारों तथा कानूनी अशिकारों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। संविधान का 73वां तथा 74वां संशोधन (1993) में पंचायत तथा नगर निकाय के चुनावों में महिला को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय स्तरों पर उनकी भागीदारी का मार्ग प्रशस्त होता है।

उपसंहार– महिला समाज की धुरी है अगर धुरी टूट गई तो समाज भी टूट जायेगा। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने महिलाओ को गुलाम बनाया वे खुद गुलाम बन गये, जिन समाजों ने महिलाओं को प्रगति का मौका दिया उन्हें सभ्यता के शिखर पर पहुंचने से कोई नही रोक सका। यद्यपि महिलाएँ तेजी से राजनीति के क्षेत्र में आ रही है, तथापि उन्हें राजनीति में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अशिक्षा, भ्रष्टाचार, शोषण, आर्थिकपराधीनता, राजनीतिक सोच का आभाव आदि ऐसी प्रमुख बाधाएं है जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने में रूकावट लाती है।

महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिये उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनाना होगा। अध्ययन क्षेत्र की महिलाओं में व्याप्त अशिक्षा और अंधविश्वास को दूर कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का दायित्व है। भ्रष्टाचार औश्र शोषण से महिलाओं को मुक्त करके उन्हें राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है।

महिलाओं में राजनीतिक जागरण की आवश्यकता है। राजनीति जागरण से मेरा तात्पर्य उनका शिक्षित और संस्कारित होना आवश्यक है अतः भारतीय परिवार में नारी का सर्वप्रथम दायित्व पत्नीत्व और मातृत्व के साथ राजनैतिक कार्यकलाप का समन्वय होना अतिआवश्यक है। एक सफल माँ और पत्नी की समाज और देश को सफल नेतृत्व दे सकती है।

Author's Declaration:

The views and contents expressed in this research article are solely those of the author(s). The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible for any errors, ethical misconduct, copyright infringement, defamation, or any legal consequences arising from the content. All legal and moral responsibilities lie solely with the author(s).

सन्दर्भ ग्रंथ सूची–

1. डॉ० प्रभा खेतानः स्त्री उपेक्षिता,– सीमोन द बोउवार 2002 प्रकाशकः हिन्द पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड जे–40 जोरबाग लेन, नई दिल्ली–110003।
2. पैलिनीथूराई जीः इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनवरी–मार्च 2001, पृष्ठ 39।
3. महात्मा गांधीः यंग इंडियन (1919–1922) पृ.–7

4. डा० अर्मत्य सेन : इंडियाः इकोनॉमिक डवलवमेन्ट एण्ड सोशल अर्पोच्यूनिटी, प्रकाशन, जीन ड्रेजी क्लेरेन्ड, प्रेस (1999)
5. डॉ. दुर्गादास बसुः 'भारत का संविधान एक परिचय प्रकाशन, वाधवा एंड कंपनी, नागपुर, 2000
6. भारत में केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम व योजनाएँ।
7. गीता श्री " सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए" राष्ट्रीय सहारा 10 जून 2000,
8. मुन्नी पडलिया– "भारत में पंचायती राज व्यवस्था' प्रकाशन अनामिका पब्लिशर्स एडं डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा०) लि० अंसारी रोड़ नई दिल्ली 10002

Cite this Article-

'डॉ0 निमिषा रानी सिंह' 'भारतीय राजनीति में महिलाओं का सशक्तिकरण– एक विश्लेषणात्मक अध्ययन', Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:07, July 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/
DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i70009
Published Date- 05 July 2025